



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267891
CG-DL-E-21112025-267891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5147]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5147]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2025

का.आ. 5323(अ).— केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश की डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, समन्वयक, राष्ट्रीय फार्मार्कोविजिलेंस समन्वय केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली को, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का कोई अधिकारी नहीं है, मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन, जिसका उपयोग औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21), राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के संबंध में विधिविरुद्ध कृत्य करने के लिए किया जा रहा है, में मौजूद या उससे संबंधित किसी सूचना, डेटा या संसूचना लिंक की बाबत मध्यवर्तीयों को सूचना जारी करने के प्रयोजन के लिए, नोडल अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. टी-11012/2/2020-डीसीसी-भाग (2) (आयुष)]

डॉ. ए. रघु, सलाहकार (आयुर्वेद)

MINISTRY OF AYUSH
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2025

S.O. 5323(E).— In pursuance of clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, the Central Government hereby designates the Coordinator, National Pharmacovigilance Coordination Centre, All India Institute of Ayurveda, New Delhi, being an officer not below the rank of Director, as the nodal officer for the purpose of issuing notice to intermediaries in relation to any information, data or communication link residing in or connected to a computer resource controlled by the intermediary being used to commit the unlawful act, in respect to the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (21 of 1954), the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020) and the National Commission for Homeopathy Act, 2020 (15 of 2020).

[F. No. T- 11012/2/2020-DCC-Part (2) (Ayush)]

Dr. A. RAGHU, Adviser (Ayurveda)